

—: कार्यालय आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा निर्गत किये गये National Anti-Fraud Guidelines के आलोक में राज्य स्तर पर State Anti-Fraud Guidelines को कार्यकारिणी की अष्टम् बैठक के प्रस्ताव संख्या-07 (सात) के द्वारा 07/12/2022 को अंगीकृत/लागू किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में SAFU को सशक्त एवं Anti-Fraud Guidelines BSSS के कंडिका-4.1.1 निर्धारित Mandate एवं Functions के अनुरूप कार्य करने हेतु बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के विभिन्न पदाधिकारियों के बीच कार्यो/कर्तव्यों को निर्धारित करते हुए कार्यालय आदेश 642 दिनांक 25.05.2023 से विस्तृत निदेश दिया गया है।

उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए HEAD STATE ANTI-FRAUD UNIT के रूप में कार्य करने हेतु प्रशासी पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति को अधिकृत किया जाता है।

शेष यथावत रहेगा।

ह०/—


(शशांक शेखर सिन्हा)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

ज्ञापांक:— Admin/65/2022/Admin-BSSS-1735

पटना, दिनांक 04/11/2024

प्रतिलिपि:— सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मो BSSS को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति।